समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू–अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11 (1) के अधीन)

संख्या– 231/2018-19 (पथ) 640 /भूअ0 गोड्डा दिनांक :– 08/07/2019

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा– **सहजादपुर, थाना नं0– 486, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **मोहनपुर, दुर्गापुर, खैराटीकर पथ चौडीकरण एवं मजबूतीकरण पथ निर्माण** हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई निदेशक, ए0एम0सी0एस0, एटलस मेनेजमेंट कॉसुल्टेंसी सर्विस प्राईवेट लिमिटेड, अशोक नगर, राँची द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। सरकार के अधिसूचना संख्या– 628, राँची, दिनांक– 29-06-2018 के द्वारा पहुँच पथ निर्माण योजना (रेखीय परियोजना) को सामाजिक अंकेक्षण से विमुक्त किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा– **सहजादपुर, थाना नं0– 486, अंचल– महागामा**, जिला– गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.132** एकड़ यानि ..... हेक्टेयर मानक माप का भू–खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	60	निजी	धानी II	0.084	0.042	शेख सलामत, पिता– स्व0 शेख ऐनुद्दीन मंडल	57	61	88	पथ
2						0.042	शेख अब्दुल करीम, पिता– स्व0 शेख ऐनुद्दीन मंडल				
3	14	61	निजी	धानी II	0.033	0.00275	वसीर, पिता– स्व0 अब्दुल गफुर	60	62	84	पथ
4						0.00275	सिद्दीक, पिता– स्व0 अब्दुल गफुर				
5						0.00275	सज्जाद, पिता– स्व0 अब्दुल गफुर				
6						0.00275	निजाम, पिता– स्व0 अब्दुल गफुर				
7						0.011	मिनहाज, पिता– स्व0 हबीबुल्ला				
8						0.00367	नसीर, पिता– स्व0 सफुर				
9						0.00367	मुसलीम, पिता– स्व0 सफुर				
10						0.00366	मुवारक करीम, पिता– स्व0 सफुर				
11	18	62	निजी	धानी II	0.013	0.00217	चुलहाय, पिता– स्व0 ताजो अली	61	63	64	पथ
12						0.00217	मुलहाय, पिता– स्व0 ताजो अली				
13						0.00216	नसीर, पिता– स्व0 ताजो अली				
14						0.0065	सुलेमान, पिता– स्व0 दुखन				
15	19	57	निजी	धानी II	0.002	0.00011	जफीर, पिता– स्व0 दुखन	55	60	58	पथ
16						0.00011	जहीर, पिता– स्व0 दुखन				
17						0.00011	हिलाल, पिता– स्व0 दुखन				
18						0.00011	मंसुर, पिता– स्व0 मसीर अली				
19						0.00011	मकसुद आलम, पिता– स्व0 मसीर अली				
20						0.00011	तोहीत हसन, पिता– स्व0 मसीर अली				
21						0.00017	रियाजुद्दीन, पिता– स्व0 सोवर तली				

22						0.00017	मुन्नी खातुन, पति– स्व0 निजाम					
23						0.00017	ताहा, पिता– स्व0 युसुफ					
24						0.00008	इस्माइल, पिता– स्व0 नजीर					
25						0.00008	इसराईल, पिता– स्व0 नजीर					
26						0.00067	इद्रीस आलम, पिता– स्व0 मोमताज मंडल					
				कुल	0.132	0.132	एकड़					

यह अधिसूचना भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा– 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी– कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा– 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

8/7/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 640 /भू0अ0 दिनांक :– 08/07/2019 ।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीध्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू–अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– IT Manager, DPMU (Revenu), गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेवसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे।

8/7/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 640 /भू0अ0 दिनांक :– 08/07/2019

प्रतिलिपि :– वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :– अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

8/7/19

उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक :640 /भूअ0 दिनांक :08/07/2019

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/7/19

उपायुक्त,
गोड्डा।